कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक अजमेर।

क्रमांकः– MEW-1272 दिनांक :– 12-7-22

संशोधित विज्ञप्ति

विज्ञप्ति क्रमांक ME(W)/2022-23/642 दिनांक 04.06.2022 के क्रम में मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अंतर्गत लागू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु जिले की नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं में (कार्मिक विभाग की अधिसूचना No. F. 17(4)DOP/ A-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के तहत् निर्धारित शर्तों पर निम्नानुसार) पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र. सं.	निकाय का नाम	पद का नाम	संशोधित मानदेय राशि रूपये (प्रति माह)	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	i) नगर निगम, अजमेर, ii) नगर परिषद् किशनगढ़ iii) नगर परिषद्, ब्यावर iv) नगर पालिका, पुष्कर v) नगर पालिका, बिजयनगर vi) नगर पालिका, केकड़ी vii) नगर पालिका, सरवाड viii) नगर पालिका, नसीराबाद	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	20000	19	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा
2		लेखा सहायक	12000	15	बी.कॉम/सीए इन्टरमीडियेट (आईपीसी) /ICWA (इन्टर)/कम्पनी सेक्रेटरी (इन्टर)
3		MIS Manager	12000	11	BCA
4		शहरी रोजगार सहायक	7500	23	स्नातक + RSCIT कोर्स
5		मशीन विथ मैन	8200	19	RSCIT कोर्स
6		मल्टी टास्क वर्कर/ होमगार्ड	7000	19	आठवीं उतीर्ण

शर्तेः–

1. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट के आधार पर होगी इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
2. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्री धारियों तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमा धारियों से भरे जायेगें।
4. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31.03.2023 तक प्रभावी रहेगी।
5. चयनोपरान्त एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में अनुबंध किया जावेगा एक से अधिक अनुबंध करने पर संविदा नियुक्ति स्वतः ही निरस्त माना जायेगा (इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य है) चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन उपरोक्तानुसार जिला अजमेर की किसी भी नगर निगम/नगरपरिषद्/पालिका में जरिये लॉटरी से किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी स्थान विशेष पर पद स्थापन की मांग नहीं कर सकेगा। लॉटरी द्वारा आवंटित स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं करने पर 03 दिवस पश्चात् आरक्षित सूची (वेटिंग लिस्ट) से अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति दी जावेगी।
6. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT के प्राप्ताकों के आधार पर की जायेगी परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा। RSCIT हेतु मैरिट में कोई प्रावधान नहीं रखा जायेगा।
7. संविदा भर्ती में आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, फार्म नगर निगम, अजमेर की वेबसाईट https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/mcajmer से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

8. संविदा भर्ती के पदों का आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के आधार पर निर्धारित होगा।
9. आयु–न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष एवं कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2022 के अनुसार आरक्षित वर्ग की पात्रता अनुसार छूट देय होगी।
10. आवेदन पत्र ए–4 साईज के कागज पर निर्धारित प्रारूप में दिनांक 22.07.2022 तक कार्यालय नगर निगम, अजमेर में जमा करवाने होंगे, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र राजपत्रित अवकाश के दिन भी प्राप्त एवं जमा करवाया जा सकता है।
11. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आयु का निर्धारण 10 वीं कक्षा की अंकतालिका/जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। चरित्र प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह/संतान संबंधी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे तथा संविदा नियुक्ति के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी आवश्यक होगी अन्यथा संविदा नियुक्ति नहीं दी जायेगी।
12. आवेदन की सभी प्रविष्टियां पूर्ण एवं सुस्पष्ट होनी आवश्यक है तथा तदानुसार सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न होना आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
13. संविदा कार्मिको की नियुक्ति के लिए अनुबंध संबंधित आवंटित नगर निगम/नगरपरिषद्/पालिका द्वारा संपादित किया जायेगा।
14. संविदा कर्मिक की सेवाऐं संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
15. अभ्यर्थी राजस्थान में किसी भी योजना से अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपों में ब्लेकलिस्टेड, संविदा पृथक किये गये अभ्यर्थी आवेदन के योग्य नहीं माने जायेगें। चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
16. किसी भी तरह का विवाद होने पर जिला परियोजना समन्वय समिति अजमेर का निर्णय मान्य होगा।
17. उक्त संविदा अनुबंध व शर्ते कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या F.1(4)DOP/A-2/2014 JAIPUR दिनांक 11.01.2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्यतः/पूर्णरूपेण लागू रहेगी।
    सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अधिसूचना कार्मिक विभाग की साईट पर उपलब्ध है।
18. मल्टी टास्क वर्कर/होमगार्ड की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आठवीं उतीर्ण होना आवश्यक है।

नोटः– वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद विलोपित किया जाता है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक की कोई भी संविदा भर्ती नही की जायेगी तथा पूर्व में प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा। शेष पदों हेतु जिन अभ्यार्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पृथक से पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय प्रमाणित शैक्षणिक/अनुभव/जाति प्रमाणपत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 22.07.2022 तक कार्यालय समय में कार्यालय नगर निगम, अजमेर में व्यक्तिशः अथवा ई–मेल irgyunigamajmer@gmail.com पर भिजवा सकते है। विज्ञप्ति से संबंधित अन्य सूचनाऐं/निर्देश वेब साईट https://lsg.urban.rajasthan.gov.in /mcajmer पर प्राप्त की जा सकती है।

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
अजमेर

Scanned with CamScan

क्रमांकः– / MEW/ 1273 - 78

दिनांक :– 12-07-22

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक (ए.सी.पी.) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त विज्ञप्ति एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो संलग्न है, को जिला अजमेर की वेबसाईट https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/mcajmer पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

Scanned with CamScanner